



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3 (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, गुरुवार, 27 दिसम्बर, 2018

पौष 9, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—3

संख्या 500/79-वि-1-21-2(क)-22-2018

लखनऊ, गुरुवार, 27 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य में मुक्त विद्यालय परिषद् को स्थापित करने एवं निगमित करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008 के तहत केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, लखनऊ का गठन करने के लिए —

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2008,

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अधिनियम प्रख्यापित करते हैं।

अध्याय—1

प्रारम्भिक

- 1— (1) यह अधिनियम केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य **संक्षिप्त नाम,**
मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008, कहा जाएगा। **विस्तार और**
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। **प्रारम्भ**
(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना
द्वारा नियत करे।

2— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो **परिभाषाएं**

- (क) “बोर्ड” का मतलब केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड होगा।
(ख) “अध्यक्ष” का मतलब केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष।
(ग) “उपाध्यक्ष” का मतलब केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष।
(घ) “प्रशासनिक बोर्ड” का अर्थ है बोर्ड की संवैधानिक समिति द्वारा अनुमोदित विभाग।
(ङ) सन्दर्भानुसार एक वचन शब्द बहुवचन भी पढ़े जाएंगे (विपरीत क्रम से भी मान्य)।
इसी प्रकार सन्दर्भानुसार जैसे एकवचन में बहुवचन अथवा उसका विपरीत समाहित
माना गया उसी प्रकार पुल्लिंग में स्त्रीलिंग समाहित माना जाए।
(च) “विस्तारण” का तात्पर्य बोर्ड द्वारा मुक्त विद्यालय को प्रदत्त संबंधन अवधि का
विस्तार है।
(छ) “परीक्षा नियंत्रक” वह अधिकारी है जो परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का पर्यवेक्षण
करता है।
(ज) “परीक्षा” का तात्पर्य बोर्ड के द्वारा संचालित परीक्षाओं से है जिसमें बोर्ड की वार्षिक
परीक्षाएं अथवा कोई सार्वजनिक परीक्षा शामिल है।
(झ) “संबंधन शुल्क” का तात्पर्य संबंधन के संबंध में और/अथवा इन उपविधियों के
उपबंधों के तहत विद्यालयों द्वारा बोर्ड को देय प्रभारों से है।
(ञ) “मुक्त विद्यालय शुल्क” का तात्पर्य अध्ययन करने के संबंध में विद्यार्थियों द्वारा
मुक्त विद्यालय को अदा की गयी धनराशि से है।
(ट) “मुक्त विद्यालय प्रबंधन समिति” का तात्पर्य मुक्त विद्यालय का प्रबंधन करने वाली
समिति से है।
(ठ) “संस्था” का तात्पर्य बोर्ड से संबद्ध किसी शैक्षिक संस्था से है।
(ड) “निजी विद्यालय” का तात्पर्य केन्द्र/राज्य अधिनियम के उपबंधों के तहत विधिवत
रूप से गठित और पंजीकृत किसी सोसायटी/न्यास/पंजीकृत कम्पनी (कम्पनी
अधिनियम, 2013 की धारा-8 के तहत) द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय से है।

- (द) “सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय” का तात्पर्य संघ सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासन से सहायता अनुदान पाने वाले विद्यालय से है।
- (ण) “सहायता अनुदान” का तात्पर्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासन से जैसा भी मामला हो, रख-रखाव के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान राशि से है।
- (त) “प्रबंधक” का तात्पर्य विद्यालय की प्रबंधन समिति के कार्यालय अधिकारी से है, जो एक संवाददाता के रूप में कार्य करता है।
- (थ) “मान्यता” का तात्पर्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और/अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन के शिक्षा अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार विद्यालय की औपचारिक मान्यता से है।
- (द) “सत्र” का तात्पर्य बारह माह की अवधि से है, जब विद्यार्थियों को सामान्य तौर पर माह अप्रैल से मार्च तक अनुदेश दिये जाते हैं।
- (ध) “प्रति व्यक्ति शुल्क” का तात्पर्य वही है, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 में परिभाषित है।
- (न) “अभिभावक” का तात्पर्य वही है, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 में परिभाषित है।
- (प) “स्थानीय प्राधिकरण” का तात्पर्य वही है, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 में परिभाषित है।
- (फ) “अधिसूचना” का तात्पर्य “केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड” द्वारा किसी उपबंध की सरकारी राजपत्र में अधिसूचना अथवा उपयुक्त साधनों के माध्यम से अधिसूचना से है।
- (ब) “विदेशी विद्यालय” का तात्पर्य भारत के बाहर के क्षेत्रों में स्थित मुक्त विद्यालयों से है।
- (भ) “विनियमावली” का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन समिति द्वारा विरचित नियमावली एवं विनियमावली है।
- (म) “उपाध्यक्ष” का तात्पर्य समिति का उपाध्यक्ष है।

अध्याय-2

बोर्ड का गठन, संरचना, शक्तियाँ और कार्य

3- बोर्ड की स्थापना— राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक निगमित निकाय स्थापित करेगी, जिसे ‘केन्द्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड’ कहा जाएगा, जिसका शाश्वत

**बोर्ड की
स्थापना**

उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 28 अगस्त, 2008 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 27, 2008 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्यांकित।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 55, 1975 की धारा 15 द्वारा रखा गया।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 2, 2016 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा और संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, अंतरण करने तथा अपने नाम से वाद दायर करने और उसके विरुद्ध वाद चलाए जाने का अधिकार होगा।

4— प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय—बोर्ड का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, तथापि बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय, मंडलीय या जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

**प्रधान
कार्यालय
और क्षेत्रीय
कार्यालय
बोर्ड का
गठन**

5— बोर्ड का गठन — बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सदस्य—सचिव, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि, मुक्त एवं विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, डिजिटल शिक्षा विशेषज्ञ, कौशल विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ, महिला शिक्षाविद, दिव्यांगजन समावेशन विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, सदस्यों की संख्या और श्रेणियाँ विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाएँगी।

6— अध्यक्ष की नियुक्ति — अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशासक, लोक नीति विशेषज्ञ या संस्थागत शासन के अनुभवी व्यक्ति में से की जाएगी, जिसे विद्यालयी शिक्षा, मुक्त अधिगम, परीक्षा प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा नियमन अथवा संस्थागत नेतृत्व का पर्याप्त एवं सिद्ध अनुभव हो। नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता-आधारित तथा सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और सार्वजनिक हित के मानकों के अनुरूप होगी। राज्य सरकार, आवश्यकता समझे जाने पर, चयन हेतु खोज-सह-चयन समिति गठित कर सकेगी। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका प्रत्यक्ष आर्थिक हित बोर्ड के कार्यों से टकराता हो या जिसने किसी प्रासंगिक पद पर रहते हुए गंभीर दुराचार प्रदर्शित किया हो। अध्यक्ष बोर्ड के नीति-निर्देशन, बैठकों की अध्यक्षता, संस्थागत समन्वय, अंतर-सरकारी संवाद और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7— सदस्य—सचिव— बोर्ड का एक सदस्य—सचिव होगा, जो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रशासन, शैक्षिक कार्यक्रमों, परीक्षा, मान्यता, वित्तीय अनुश्रवण, अभिलेख संधारण, मानव संसाधन प्रबंधन, डिजिटल प्रणालियों के संचालन तथा बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। सदस्य—सचिव बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों का कार्यसूची-निर्माण, अभिलेखीकरण, अनुपालन अनुश्रवण और निर्णय-प्रेषण सुनिश्चित करेगा। वह बोर्ड की निधियों के विधिसम्मत उपयोग, अनुमोदित बजट के पालन, अनुबंधों के प्रशासन, सेवाओं की खरीद, शिक्षार्थी सेवा वितरण तथा शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी करेगा। आपात परिस्थितियों में, विनियमों के अधीन, सदस्य—सचिव आवश्यक अंतरिम प्रशासनिक कदम उठा सकेगा, परंतु ऐसे प्रत्येक कदम की सूचना यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपयुक्त रूप से बोर्ड अथवा कार्यकारिणी समिति को

दी जाएगी। सदस्य-सचिव की कार्यकारी भूमिका, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और संस्थागत अनुपालन के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा, और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

8. सदस्यों की पदावधि- अध्यक्ष तथा नामित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी, जब तक कि वे पूर्व में इस्तीफा न दें, पद से न हटाए जाएँ या विनियमों के अधीन उनकी नियुक्ति समाप्त न कर दी जाए, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। पदावधि की गणना नियुक्ति ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी और, जहाँ आवश्यक हो, उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक सीमित अवधि के लिए पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकेगी, जिससे कार्य में निरंतरता बनी रहे। राज्य सरकार या नामांकन प्राधिकारी, क्रमिक संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से सदस्यों की पदावधि का चरणबद्ध निर्धारण भी कर सकेगा। किसी सदस्य की पुनर्नियुक्ति उसके कार्य निष्पादन, उपस्थिति, आचरण, हितों के टकराव से मुक्त स्थिति और सार्वजनिक हित के व्यापक मानकों को ध्यान में रखकर की जाएगी। पदावधि, पुनर्नियुक्ति, उत्तराधिकार और संस्थागत निरंतरता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए

**सदस्यों की
पदावधि**

बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा, और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि राज्य में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

9— त्यागपत्र—अध्यक्ष राज्य सरकार को और अन्य सदस्य अध्यक्ष को संबोधित लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेंगे ऐसा त्यागपत्र स्वीकृति अथवा उसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा। यदि त्यागपत्र में कोई प्रभावी तिथि निर्दिष्ट न हो, तो वह पत्र प्राप्त होने की तिथि से ऐसे समय में प्रभावी माना जाएगा जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित हो। त्यागपत्र, प्रशासनिक सुविधा और कार्य की निरंतरता को दृष्टिगत रखते हुए, तब तक वापस लिया जा सकेगा जब तक उसे विधिवत स्वीकार न कर लिया गया हो या उसके स्थान पर उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया गया हो। त्यागपत्र लंबित रहने की अवधि में, यदि लोकहित की अपेक्षा हो, तो संबंधित पदाधिकारी को सीमित दायित्वों के साथ कार्य जारी रखने का निर्देश दिया जा सकेगा। त्यागपत्र, प्रभावशीलता, अंतरिम व्यवस्था और दायित्व-निरंतरता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों,

प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो।

10— अयोग्यता — कोई व्यक्ति सदस्य नियुक्त होने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित किया गया हो, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषसिद्ध हुआ हो, लोकसेवा से दंडस्वरूप पदच्युत किया गया हो, सत्यनिष्ठा से संबंधित गंभीर आरोपों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी पाया गया हो, या बोर्ड के हितों से प्रत्यक्ष रूप से टकराव रखने वाले आर्थिक, संविदात्मक या प्रबंधन संबंधी हित में संलग्न हो। प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति के समय तथा तत्पश्चात नियत अवधियों पर हितों की घोषणा करेगा। यदि किसी मामले में सदस्य का निजी, पारिवारिक, वित्तीय या पेशेवर हित निहित हो, तो वह उस विषय के विचार-विमर्श और निर्णय से स्वयं को पृथक रखेगा। हितों के टकराव की पहचान, प्रकटीकरण और निवारण की प्रक्रिया विनियमों द्वारा विनियमित होगी। अयोग्यता, हितों के टकराव, प्रकटीकरण और नैतिक शुचिता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा।

11— पद से हटाया जाना— राज्य सरकार, कारण अभिलेखित करते हुए, अध्यक्ष या पद से किसी सदस्य को कर्तव्यों की उपेक्षा, सिद्ध दुराचार, हितों के टकराव का अनुचित हटाया जाना प्रकटीकरण न करना, दीर्घकालिक अथवा अनधिकृत अनुपस्थिति, क्षमता या सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आचरण, या इस अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर पद से हटाने का आदेश दे सकेगी, परंतु ऐसा कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को आरोपों की सूचना, अभिलेखों तक युक्तिसंगत पहुँच तथा अपना पक्ष रखने का यथोचित अवसर दिया जाएगा। आवश्यक होने पर राज्य सरकार जांच हेतु किसी प्राधिकारी या समिति की नियुक्ति कर सकेगी। गंभीर लोकहित की स्थिति में, अंतिम निर्णय लंबित रहते हुए, संबंधित पदाधिकारी को

अस्थायी रूप से कार्यमुक्त या निलंबित किया जा सकेगा। पद से हटाने की प्रक्रिया, जांच, प्राकृतिक न्याय और लोकहित संरक्षण के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा।

12- आकस्मिक रिक्तियाँ – किसी सदस्य के निधन, त्यागपत्र, पदच्युति, अयोग्यता, दीर्घकालिक असमर्थता या अन्य किसी कारण से रिक्ति होने पर, शेष कार्यकाल के लिए नई नियुक्ति या नामांकन किया जा सकेगा। ऐसी रिक्ति को यथाशीघ्र भरे जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बोर्ड के कार्यों में व्यवधान न उत्पन्न हो। इस प्रकार की रिक्ति रहने मात्र से बोर्ड या उसकी किसी समिति की कार्यवाही अवैध नहीं होगी, यदि उस समय आवश्यक कोरम उपलब्ध रहा हो और निर्णय अन्यथा विधिसम्मत रूप से लिया गया हो। विनियमों द्वारा यह भी उपबध्दित किया जा सकेगा कि अंतरिम अवधि में किसी अन्य सदस्य को अतिरिक्त प्रभार या कार्य-आवंटन दिया जाए। आकस्मिक रिक्तियाँ, अंतरिम प्रभार और बोर्डों के कार्यों की वैधता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबध्द नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा, और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर

**आकस्मिक
रिक्तियाँ**

आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

13— बैठकें — बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बैठकें करेगा और विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष, अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विनियमों द्वारा अधिकृत पदाधिकारी, आवश्यकतानुसार विशेष बैठक बुला सकेगा। बैठक की सूचना, कार्यसूची, पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ, निर्णय-पत्रक, कोरम, मतदान, असहमति अभिमत का अभिलेखीकरण तथा कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रक्रिया विनियमों द्वारा निर्धारित होगी। बोर्ड, उपयुक्त प्रौद्योगिकी साधनों की उपलब्धता की स्थिति में, आभासी या संकर माध्यम से भी बैठकें कर सकेगा, बशर्ते कि पहचान, सहभागिता, मतदान और रिकॉर्ड-सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएँ। अत्यावश्यक विषयों पर परिसंचरण द्वारा अनुमोदन भी लिया जा सकेगा, जिसकी पुष्टि आगामी बैठक में की जाएगी। बैठकें, कार्यसूची, निर्णय-अभिलेखीकरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम सहभागिता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

बैठकें

14—कार्यकारिणी समिति— बोर्ड के प्रशासनिक, वित्तीय और तात्कालिक कार्यों के **कार्यकारिणी**

उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 28 अगस्त, 2008 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 27, 2008 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्यांकित।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 55, 1975 की धारा 15 द्वारा रखा गया।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 2, 2016 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

संचालन हेतु एक कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, वित्त प्रतिनिधि, शैक्षिक विशेषज्ञ और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। समिति का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि निर्णय-प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय सतर्कता, शैक्षिक दृष्टि और तकनीकी समझ का संतुलित समावेश हो। समिति आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट विषयों, जैसे परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना, आपदा-प्रतिक्रिया, अनुबंध प्रशासन अथवा मान्यता-संबंधी तात्कालिक मामलों पर विशेष आमंत्रित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेगी। कार्यकारिणी समिति बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से अपनी कार्यवाही और निर्णयों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। कार्यकारिणी समिति का गठन, संरचना, परामर्श और कार्यात्मक संतुलन के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी।

समिति

15-कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ — कार्यकारिणी समिति बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित विषयों पर निर्णय ले सकेगी, जिनमें प्रशासनिक स्वीकृतियाँ, सीमित वित्तीय अनुमोदन, आपात परीक्षा व्यवस्थाएँ, अनुबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी, मानव संसाधन से संबंधित सीमित विषय तथा बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले नीतिगत मसौदों की प्राथमिक समीक्षा सम्मिलित हो सकती है। तथापि समिति को ऐसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जो मूल नीतिगत परिवर्तन, दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व, व्यापक संरचनात्मक पुनर्गठन या अधिनियमध्विनियमों में प्रत्यक्ष संशोधन से संबंधित हों, जब तक कि बोर्ड द्वारा स्पष्ट प्रत्यायोजन न किया गया हो। समिति द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय की सूचना आगामी बैठक में बोर्ड को दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कराया जाएगा।

कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ

16-सचिवालय और कर्मचारी— बोर्ड आवश्यकतानुसार शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी, परीक्षा, वित्त, विधि, आईटी, गुणवत्ता आश्वासन, सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, शिक्षार्थी सहायता और क्षेत्रीय सेवाओं से संबंधित पद सृजित कर सकेगा और राज्य सरकार की स्वीकृत नीतियों के अधीन नियमित, संविदा, प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक विशेषज्ञ अथवा परियोजना-आधारित नियुक्तियाँ कर सकेगा। पदों का सृजन कार्य-आवश्यकता, वित्तीय

वहनीयता, क्षेत्रीय विस्तार, परीक्षा संचालन की मात्रा, डिजिटल सेवाओं की जटिलता तथा समावेशी शिक्षार्थी सहायता की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

17— सेवा की शर्तें— बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, सेवा-शर्तें, वेतन, भत्ते, अवकाश, आचार संहिता, अनुशासन, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, सेवा-मूल्यांकन, लैंगिक संवेदनशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा और अन्य संबद्ध विषय नियमों तथा विनियमों द्वारा विनियमित होंगे। भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता-आधारित, भेदभावरहित तथा लागू आरक्षण नीतियों के अनुरूप होगी। बोर्ड नैतिक आचरण, गोपनीयता, डेटा संरक्षण, परीक्षा-सुरक्षा और हितों के टकराव से संबंधित सेवा दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा। कर्मचारियों की क्षमता-वृद्धि, डिजिटल दक्षता, समावेशी व्यवहार और लोकसेवा उन्मुख कार्यसंस्कृति के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अध्याय 3

बोर्ड के उद्देश्य, शक्तियाँ और कृत्य

18—बोर्ड के उद्देश्य— बोर्ड का उद्देश्य लचीली, सुलभ, समावेशी, विश्वसनीय और गुणवत्ता-आधारित मुक्त स्कूली शिक्षा व्यवस्था का विकास करना होगा, ताकि विद्यालय से बाहर बच्चे, कामकाजी युवा, महिलाएँ, प्रवासी शिक्षार्थी, खेल प्रतिभाएँ, कलाकार, दिव्यांगजन, कारागारबंद व्यक्ति, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के निवासी, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के सदस्य तथा वे सभी व्यक्ति जो किसी कारणवश औपचारिक विद्यालयी प्रणाली से बाहर रह गए हों, उन्हें समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो सकें। बोर्ड का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं होगा, बल्कि शिक्षार्थियों को जीवनोपयोगी कौशल, डिजिटल साक्षरता, रोजगारोन्मुख दक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय मूल्यों और आजीवन अधिगम की क्षमता से संपन्न करना भी होगा। बोर्ड शिक्षा की बहु-प्रवेश, बहु-निर्गम, लचीली गति और पुनःप्रवेश-समर्थ संरचना को बढ़ावा देगा।

बोर्ड के
उद्देश्य

19—पाठ्यक्रम निर्माण— बोर्ड माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, आधारभूत शिक्षा, कौशल-आधारित, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक, उद्यमिता-उन्मुख, पुल-पाठ्यक्रम, समकक्ष, क्रेडिट-आधारित तथा विशेष आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम विकसित, अनुमोदित, संशोधित और लागू कर सकेगा। पाठ्यक्रम-निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षण-अधिगम के समकालीन सिद्धांतों, बहुभाषिकता, स्थानीय संदर्भ, समावेशन, दक्षतामूलक अधिगम, मूल्य-आधारित शिक्षा और डिजिटल एकीकरण को ध्यान में रखकर संचालित की जाएगी। बोर्ड समय-समय पर पाठ्यक्रम समीक्षा करेगा, नवीन विषय सम्मिलित करेगा, शिक्षार्थियों के विविध समूहों के लिए वैकल्पिक शिक्षण पथ विकसित

पाठ्यक्रम
निर्माण

करेगा तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय तुल्यता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शैक्षिक रूपरेखा अपनाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक विविधता, समकक्षता और दक्षतामूलक अधिगम के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा।

20- स्व-अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधन – बोर्ड मुद्रित, ऑडियो, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन, मोबाइल, एलएमएस, सामुदायिक, ऑफलाइन डिजिटल एवं मिश्रित रूपों में स्व-अध्ययन सामग्री, शिक्षार्थी सहायता सामग्री, शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु संसाधन विकसित, प्रकाशित, अनुवादित, अद्यतन और वितरित कर सकेगा। सामग्री का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वह स्वयं-अध्ययन के लिए उपयुक्त, सरल, चरणबद्ध, आकर्षक, शैक्षिक दृष्टि से विश्वसनीय और विविध शिक्षार्थी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। बोर्ड ब्रेल, बड़े अक्षर, सांकेतिक भाषा, स्क्रीन-रीडर अनुकूल प्रारूप, उपशीर्षकयुक्त वीडियो, बहुभाषीय मॉड्यूल तथा कम-बैंडविड्थ संसाधन भी विकसित कर सकेगा। सामग्री की गुणवत्ता, कॉपीराइट, मुक्त अभिगम, संस्करण नियंत्रण और समयोचित पुनरीक्षण के लिए पृथक मानक निर्धारित किए जाएँगे। स्व-अध्ययन सामग्री, डिजिटल संसाधन, बहुभाषिकता और अभिगम्यता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा।

**स्व-अध्ययन
सामग्री और
डिजिटल
संसाधन**

21-अध्ययन केंद्रों की मान्यता—बोर्ड सार्वजनिक, निजी, सहायता-प्राप्त, गैर-लाभकारी, सामुदायिक अथवा विशेष श्रेणी की संस्थाओं को निर्धारित मानकों, निरीक्षण, आधारभूत संरचना, सुरक्षा, शैक्षणिक क्षमता, प्रशासनिक विश्वसनीयता, डिजिटल तत्परता, अभिलेख संधारण, शिक्षार्थी सुविधा और पारदर्शिता के आधार पर अध्ययन केंद्र, कार्यक्रम राज्य या परीक्षा राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगा, निलंबित कर सकेगा, शर्तों सहित जारी रख सकेगा या वापस ले सकेगा। मान्यता प्रदान करने से पूर्व भौतिक या प्रौद्योगिकी-सहायित निरीक्षण, आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण, क्षमता का मूल्यांकन और जोखिम-आधारित सत्यापन किया जाएगा। बोर्ड सेवा-स्तर मानक, शिकायत निवारण, शिक्षार्थी सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन अनुकूलता और परीक्षा गोपनीयता के मानदंड भी लागू करेगा। किसी भी प्रतिकूल आदेश से पूर्व संबंधित संस्था को कारण बताओ सूचना और प्रत्युत्तर का अवसर दिया जाएगा। अध्ययन केंद्रों की मान्यता, निरीक्षण, अनुपालन और शिक्षार्थी संरक्षण के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा

**अध्ययन
केंद्रों की
मान्यता**

परीक्षण—प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

22—परीक्षाएँ— बोर्ड अपनी सार्वजनिक परीक्षाएँ, ऑन-डिमांड परीक्षण, मॉड्यूलर मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षा, परियोजना-आधारित मूल्यांकन, आंतरिक आकलन, कौशल-परीक्षण, पुनर्परीक्षा और विशेष अवसर परीक्षा की व्यवस्था संचालित कर सकेगा और इसके लिए परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों, परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, निरीक्षकों तथा तकनीकी सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति या अनुमोदन कर सकेगा। बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता, निष्पक्षता, मानकीकरण, सुरक्षित प्रश्नपत्र प्रबंधन, समयबद्ध परिणाम, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए उचित सुविधा और प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी सुनिश्चित करेगा। परीक्षा संचालन से संबंधित विस्तृत प्रक्रियाएँ, अनुशासन, पुनर्मूल्यांकन, परिणाम-संशोधन और अभ्यर्थी सहायता तंत्र विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा प्रशासन, मूल्यांकन, सुरक्षा और अभ्यर्थी-सुविधा के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक

परीक्षाएँ

प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

23— प्रमाणपत्र, अंकपत्र और समकक्षता— बोर्ड सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र, अंकपत्र, माइग्रेशन प्रमाणपत्र, प्राविधिक अथवा कौशल-आधारित प्रमाणन, क्रेडिट बैंक-आधारित रिकॉर्ड, डुप्लीकेट दस्तावेज, सुधारित अभिलेख तथा डिजिटल सत्यापन सुविधा प्रदान कर सकेगा, समकक्षता से संबंधित विषय लागू विधि, प्रचलित नीतियों और सक्षम प्राधिकारियों के अधीन होंगे। बोर्ड सुरक्षित क्यूआर-आधारित, डिजिटल हस्ताक्षरित, सत्यापनयोग्य और अभिलेखीय रूप से संरक्षित प्रमाण-पत्र प्रणाली विकसित कर सकेगा, जिससे जालसाजी, प्रतिरूपण और अनुचित उपयोग की रोकथाम हो। प्रमाणपत्रों के निर्गमन, संशोधन, निरस्तीकरण, पुनःप्रमाणीकरण, अभिलेख संरक्षण और अंतर-संस्थागत सत्यापन की प्रक्रिया विनियमों द्वारा विनियमित होगी।

24— शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ— बोर्ड शिक्षार्थियों को परामर्श, संपर्क कक्षाएँ, ट्यूटर-मार्गदर्शन, हेल्पलाइन, डिजिटल सहायता, परीक्षा मार्गदर्शन, विशेष प्रशिक्षण, करियर परामर्श, मानसिक-सामाजिक समर्थन, संदेह-निवारण मंच, भाषा-सहायता, समावेशी शिक्षण सहायता तथा शिकायत-निवारण सेवाएँ प्रदान करेगा। सेवाओं का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रथम-पीढ़ी के शिक्षार्थी, कामकाजी अभ्यर्थी, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, दिव्यांगजन, पुनःप्रवेशी शिक्षार्थी और तकनीकी रूप से सीमित उपयोगकर्ता भी समान रूप से लाभान्वित हो सकें। बोर्ड अध्ययन प्रगति अनुश्रवण,

**शिक्षार्थी
सहायता
सेवाएँ**

जोखिमग्रस्त शिक्षार्थियों की पहचान, सीखने के अंतर को कम करने, परीक्षा तैयारी को सुदृढ़ करने और रोजगार/उच्च शिक्षा मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त समर्थन तंत्र विकसित करेगा।

25— अनुसंधान, प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन— बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिक्षा, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षण—अधिगम प्रौद्योगिकी, शिक्षा में समावेशन, ड्रॉप—आउट पुनर्वास, शिक्षार्थी परिणाम, सामग्री की प्रभावशीलता, डिजिटल शिक्षण व्यवहार और परीक्षा विश्वसनीयता पर अनुसंधान कर सकेगा तथा अध्ययन केंद्रों, समन्वयकों, परामर्शदाताओं, शिक्षकों, परीक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकीय कार्मिकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करेगा। अनुसंधान के निष्कर्षों का उपयोग नीतिगत सुधार, पाठ्यक्रम पुनरीक्षण, सेवा वितरण में सुधार, क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान और विशेष सहायता कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में किया जाएगा। बोर्ड पायलट परियोजनाएँ, नवाचार प्रयोग, कार्यशालाएँ, प्रमाणन—आधारित प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखाएँ भी विकसित कर सकेगा। अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार और गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया—ढाँचे, सेवा—स्तर मानक, प्राधिकार—सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन—निर्देश तथा परीक्षण—प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय—समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख—संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता—समीक्षा, जोखिम—नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो।

**अनुसंधान,
प्रशिक्षण
और
गुणवत्ता
आश्वासन**

26— राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग— बोर्ड, राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कौशल परिषदों, डिजिटल शिक्षा एजेंसियों, अनुसंधान निकायों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा राज्य मुक्त विद्यालयों के साथ सहयोग, सामंजस्य, शैक्षिक साझेदारी, संयुक्त कार्यक्रम, सामग्री—विनिमय, क्षमता—विकास, तकनीकी सहायता और तुल्यता—संबंधी संवाद स्थापित कर सकेगा। ऐसे सहयोग का उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए व्यापक अवसर, क्रेडिट हस्तांतरण, पाठ्यक्रम समृद्धि, डिजिटल

**राष्ट्रीय और
अंतरराष्ट्रीय
सहयोग**

नवाचार, कौशल समावेशन और गुणवत्ता मानकीकरण को बढ़ावा देना होगा। कोई भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत सरकार की लागू नीतियों, संप्रभुता-संवेदनशील विषयों, डेटा सुरक्षा, वित्तीय शुचिता और सार्वजनिक हित के मानकों के अधीन होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, साझेदारी, तुल्यता और संस्थागत समन्वय के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी।

27— विशेष वर्गों के लिए कार्यक्रम— बोर्ड महिला शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, अल्पसंख्यक समुदायों, दिव्यांगजनों, कारागारों, आश्रयगृहों, बाल संरक्षण संस्थाओं, प्रवासी श्रमिक परिवारों, बेघर या जोखिमग्रस्त युवाओं तथा आजीविका-उन्मुख शिक्षार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रवेश प्रावधान, शुल्क-राहत, स्थानीय भाषा-समर्थन, लचीले समय-सारिणी, मोबाइल शिक्षण सहायता, सामुदायिक संपर्क और लक्षित परामर्श सेवाएँ चला सकेगा। ऐसे कार्यक्रमों में लैंगिक न्याय, सामाजिक समावेशन, जीवन कौशल, पुनर्वास, पुनःप्रवेश और रोजगारोन्मुख अवसरों पर विशेष बल दिया जाएगा।

**विशेष वर्गों
के लिए
कार्यक्रम**

अध्याय 4

समितियाँ, अकादमिक विनियमन और परीक्षा प्रशासन

28— समितियों का गठन— बोर्ड अपने कार्यों के कुशल, विशेषज्ञतापूर्ण और उत्तरदायी निर्वहन हेतु अकादमिक समिति, परीक्षा समिति, मान्यता समिति, वित्त समिति, पाठ्यचर्या समिति, डिजिटल प्रणाली समिति, अनुसंधान एवं गुणवत्ता समिति तथा आवश्यकता अनुसार अन्य स्थायी, अस्थायी या विषय-विशेष समितियाँ गठित कर सकेगा। प्रत्येक समिति की संरचना, अधिकार-क्षेत्र, कार्यकाल, सचिवीय सहायता, बैठक प्रक्रिया, रिपोर्टिंग दायित्व और निर्णय की प्रकृति विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। बोर्ड आवश्यकतानुसार बाह्य विशेषज्ञों, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और तकनीकी सलाहकारों को समिति की कार्यवाही में सम्मिलित कर सकेगा। समितियाँ बोर्ड के विचारार्थ अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेंगी और उनका कार्य बोर्ड के सामूहिक दायित्व को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

**समितियों
का गठन**

- 29— अकादमिक समिति—** अकादमिक समिति पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षण पद्धति, समकक्षता, क्रेडिट हस्तांतरण, शिक्षार्थी सहायता, अधिगम परिणाम, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक उपबंध, बहुभाषिकता, डिजिटल अधिगम और शैक्षिक नवाचार से संबंधित विषयों पर बोर्ड को अनुशंसा देगी। समिति समय-समय पर पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता, शिक्षण-सहायता प्रणालियों की प्रभावशीलता और राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के साथ सामंजस्य की समीक्षा करेगी। वह आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ उपसमितियाँ गठित करने, पायलट परियोजनाएँ सुझाने, परामर्श प्रक्रिया संचालित करने और अकादमिक सुधारों की प्रगति पर निगरानी रखने की अनुशंसा भी कर सकेगी। अकादमिक समिति की भूमिका, समीक्षा, उपसमितियाँ और शैक्षिक सुधार के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी।
- 30— परीक्षा समिति—** परीक्षा समिति परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम-आधारित मूल्यांकन, प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र बैंक, गोपनीयता, परीक्षा सुरक्षा, राज्य प्रबंधन, ऑनलाइन और ऑन-डिमांड मूल्यांकन, परिणाम-प्रक्रिया, पुनर्मूल्यांकन, उत्तरपुस्तिका नीति, अनुशासन, अनुचित साधनों की रोकथाम और प्रमाणन से जुड़े विषयों पर बोर्ड को सलाह देगी। समिति परीक्षा मानकीकरण, त्रुटि-न्यूनकरण, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, विशेष सुविधा प्राप्त परीक्षार्थियों के उपबंध तथा परीक्षा-सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग की भी समीक्षा करेगी।
- 31— मान्यता समिति—** मान्यता समिति अध्ययन केंद्रों, परीक्षा केंद्रों और सहयोगी संस्थाओं के निरीक्षण, मूल्यांकन, अनुमोदन, नवीनीकरण, शर्ताधीन मान्यता, निलंबन, समाप्ति और अनुपालन-समीक्षा से संबंधित मामलों पर बोर्ड को अनुशंसा करेगी। समिति न्यूनतम अवसंरचना, सुरक्षा, रिकॉर्ड प्रबंधन, शिक्षार्थी सहायता, महिला एवं बाल सुरक्षा, दिव्यांगजन-अनुकूलता, परीक्षा अनुशासन, प्रौद्योगिकीय सुविधाओं और स्थानीय प्रशासनिक विश्वसनीयता के मानकों का परीक्षण करेगी।
- 32— वित्त समिति—** वित्त समिति बजट, पूरक बजट, व्यय नियंत्रण, निधि उपयोग, वित्त समिति

निवेश, लेखा अनुश्रवण, आंतरिक नियंत्रण, खरीद प्रक्रिया, अनुबंधीय भुगतान, वित्तीय जोखिम, लेखा वर्गीकरण और निधि प्रबंधन पर बोर्ड को सलाह देगी। समिति सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड की वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी, लेखापरीक्षण योग्य, दक्ष और लोक वित्त सिद्धांतों के अनुरूप रहे। समिति वित्तीय विचलनों, अनुदान उपयोगिता, लागत-प्रभावशीलता, डिजिटल भुगतान प्रणाली, देयताओं के प्रबंधन और वित्तीय प्रकटीकरण की भी समीक्षा कर सकेगी।

33— अनुचित साधनों की रोकथाम— बोर्ड परीक्षा में कदाचार, फर्जी प्रवेश, जाली प्रमाणपत्र, प्रतिरूपण, संगठित नकल, प्रश्नपत्र लीक, साइबर छेड़छाड़, डेटा उल्लंघन, पहचान-धोखाधड़ी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग या किसी अन्य अनियमितता के विरुद्ध जांच, परिणाम निरस्तीकरण, अभ्यर्थिता निरस्तीकरण, राज्य निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, दंडात्मक कार्रवाई, वसूली और आवश्यकतानुसार आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त प्रावधान कर सकेगा।

**अनुचित
साधनों की
रोकथाम**

अध्याय 4

निधि, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा

34— बोर्ड निधि— बोर्ड की एक पृथक निधि होगी, जिसे 'केन्द्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड निधि' कहा जाएगा, और इसमें बोर्ड की सभी प्राप्तियाँ जमा की जाएँगी तथा सभी विधिसम्मत व्यय, देयताएँ, योजनागत भुगतान, वेतन, परीक्षा-संचालन व्यय, सामग्री विकास, डिजिटल सेवा व्यय और अन्य अनुमोदित खर्च इसी निधि से किए जाएँगे। निधि का संचालन ऐसी लेखा-विधि के अनुसार किया जाएगा जिससे प्रत्येक प्राप्ति और व्यय का पृथक, सत्यापनयोग्य और लेखापरीक्षण योग्य अभिलेख उपलब्ध रहे।

बोर्ड निधि

35— निधि के स्रोत— बोर्ड निधि में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, शुल्क, सेवा-शुल्क, परीक्षा-शुल्क, पंजीकरण-शुल्क, प्रकाशनों से आय, परामर्श सेवाओं से आय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त धन, दान, उपहार, अनुसंधान अनुदान, समर्थन, परियोजना सहायता तथा अन्य वैध प्राप्तियाँ सम्मिलित होंगी। तथापि ऐसी कोई भी प्राप्ति, जो बोर्ड की स्वायत्तता, निष्पक्षता, परीक्षा-विश्वसनीयता या सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाली शर्तों से बँधी हो, स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि वह राज्य सरकार की नीति और बोर्ड की पारदर्शिता आवश्यकताओं के अनुरूप न हो।

**निधि के
स्रोत**

36— निधि का संचालन— बोर्ड अपनी निधि को अनुसूचित बैंकों में रखेगा और राज्य सरकार की स्वीकृत नीतियों, लागू वित्तीय नियमों तथा विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों के अधीन उसका निवेश, उपयोग, निर्गमन और लेखांकन करेगा। निधि संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षर, भुगतान प्रक्रियाएँ, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आंतरिक नियंत्रण,

**निधि का
संचालन**

बैंक सामंजस्य, निवेश सीमा, अल्पकालिक निधि प्रबंधन और निधि सुरक्षा से संबंधित प्रावधान विनियमों या वित्तीय नियमावली में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

37— बजट— बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय-व्यय, योजनागत एवं अयोजनागत मदों, पूंजीगत व्यय, परीक्षा-संबंधी व्यय, सामग्री विकास, मानव संसाधन, डिजिटल संरचना, क्षेत्रीय विस्तार और विशेष कार्यक्रमों का वार्षिक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को ऐसे समय, प्रारूप और विवरण सहित प्रस्तुत करेगा जैसा नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड पूरक बजट, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव और व्यय-संशोधन भी तैयार कर सकेगा। बजट-निर्माण में पूर्व-वर्षीय प्रदर्शन, वित्तीय वहनीयता, लक्ष्य-आधारित परिणाम और जोखिम मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाएगा। बजट-निर्माण, पूरक प्रावधान, परिणाम-उन्मुख योजना और जोखिम मूल्यांकन के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा, और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

38— लेखा और अभिलेख— बोर्ड समुचित लेखा-पुस्तकें, वित्तीय अभिलेख, परिसंपत्ति रजिस्टर, शुल्क लेखा, परीक्षा व्यय, देयताओं का विवरण, अनुबंधीय भुगतान अभिलेख,

बजट

**लेखा और
अभिलेख**

डिजिटल लेनदेन अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर तथा अनुदान उपयोगिता अभिलेख संधारित करेगा। अभिलेख इस प्रकार रखे जाएँगे कि लेखा परीक्षा, प्रशासनिक अनुश्रवण, न्यायिक या संसदीय परीक्षण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

39— लेखा परीक्षा— बोर्ड के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षा परीक्षक द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, और बोर्ड आवश्यक अभिलेख, लेखे, वाउचर, अनुबंध, स्वीकृतियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा तथा अन्य संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा। लेखा परीक्षा में की गई टिप्पणियों, आपत्तियों और निरीक्षणों पर बोर्ड समयबद्ध प्रत्युत्तर देगा तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

40— वार्षिक प्रतिवेदन— बोर्ड प्रत्येक वर्ष अपनी गतिविधियों, कार्यक्रमों की प्रगति, वार्षिक परीक्षा परिणामों, मान्यता संबंधी कार्यवाही, शिक्षार्थी नामांकन, समावेशी पहलों, वित्तीय प्रतिवेदन स्थिति, नवाचार, डिजिटल उपलब्धियों, अनुसंधान निष्कर्षों, चुनौतियों, सुधारात्मक उपायों और आगामी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन में प्रदर्शन संकेतकों, क्षेत्रीय विश्लेषण, जोखिम क्षेत्रों, विशेष वर्गों तक पहुँच, शिकायत निवारण की स्थिति और पारदर्शिता संबंधी उपायों का भी समुचित उल्लेख किया जाएगा।

अध्याय 6

नियम, विनियम और सामान्य प्रावधान

41— राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति— राज्य सरकार, राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकेगीय ऐसे नियमों में नियुक्ति, सेवा—शर्तें, वित्तीय नियंत्रण, निरीक्षण, प्रतिवेदन, अनुश्रवण, समन्वय, हितों की घोषणा, सुरक्षा, डेटा प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक विषय नियम बनाने की शक्ति शामिल हो सकेंगे। नियम इस अधिनियम के अनुरूप होंगे और वे ऐसे किसी विषय को भी आच्छादित कर सकेंगे जिसके लिए नियम बनाना आवश्यक या समीचीन हो। जहाँ प्रचलित संसदीय परंपरा लागू हो, वहाँ ऐसे नियमों को संसद के समक्ष रखा जा सकेगा। नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता, वैधानिक एकरूपता और सुशासन सुनिश्चित करना होगा। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, प्रशासनिक स्पष्टता और वैधानिक एकरूपता के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया—ढाँचे, सेवा—स्तर मानक, प्राधिकार—सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन—निर्देश तथा परीक्षण—प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय—समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व

की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख—संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता—समीक्षा, जोखिम—नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा—निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय—समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी—सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

42— बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति— बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति या सामान्य निर्देशों के अधीन, इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विनियम बना सकेगा विशेषतः पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन, मान्यता, शुल्क, समकक्षता, शिक्षार्थी सेवाएँ, डिजिटल सेवाएँ, अभिलेख सत्यापन, डेटा संरक्षण, समिति—कार्यवाही, मानव संसाधन, वित्तीय प्रक्रियाएँ और अन्य संचालनात्मक विषयों पर।

**बोर्ड की
विनियम
बनाने की
शक्ति**

43— सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण— इस अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावना में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार, बोर्ड, उसके सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकृत एजेंसियों या विधिवत नियुक्त प्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**सद्भावना
में की गई
कार्रवाई का
संरक्षण**

44— कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और अधिनियम के उद्देश्यों से संगत प्रावधान कर सकेगी, परंतु ऐसा कोई आदेश अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का आदेश अधिनियम के मूल ढाँचे, अधिकार—सीमा या विधायी आशय के प्रतिकूल नहीं होगा, बल्कि केवल संक्रमणकालीन, स्पष्टीकरणात्मक या कार्यान्वयन—संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तक सीमित रहेगा।

जहाँ उपयुक्त हो, ऐसे आदेश का सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रशासनिक स्पष्टता और संस्थागत पारदर्शिता बनी रहे। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, संक्रमणकालीन स्पष्टता और कार्यान्वयन समर्थन के संबंध में स्पष्टता, एकरूपता और उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड आवश्यक मानदंड, प्रक्रिया-ढाँचे, सेवा-स्तर मानक, प्राधिकार-सीमाएँ, समन्वय तंत्र, अनुपालन-निर्देश तथा परीक्षण-प्रणालियाँ निर्धारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन उपर्युक्त विषय से संबंधित विस्तृत उपबंध नियमों, विनियमों, प्रशासनिक आदेशों, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनमें अधिकारों का प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएँ, समयबद्ध रिपोर्टिंग, पारदर्शिता मानक, अभिलेख-संधारण, डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण, गुणवत्ता-समीक्षा, जोखिम-नियंत्रण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्गठन, समेकन या चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यवस्था शिक्षार्थी हित, परीक्षा की विश्वसनीयता, सुशासन, डेटा सुरक्षा, समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप रहे, तथा किसी भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय का समुचित अभिलेखीकरण, परीक्षण, पुनरावलोकन और आवश्यकता होने पर उत्तरदायी समीक्षा संभव हो। जहाँ किसी विषय का राष्ट्रीय प्रभाव हो, वहाँ बोर्ड राज्य सरकार से पूर्व परामर्श कर सकेगा और जहाँ विषय स्थानीय क्रियान्वयन से संबंधित हो, वहाँ बोर्ड मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि देशभर में एकरूपता और व्यावहारिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना रहे, अनावश्यक विवेकाधिकार न्यूनतम हो, तथा शिक्षार्थियों, अध्ययन केंद्रों, अधिकारियों और संबद्ध एजेंसियों के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट, न्यायसंगत, सुसंगत और कार्यसाध्य रहें। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, बाह्य मूल्यांकन, लेखापरीक्षण, नीतिगत परीक्षण या प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन अनुश्रवण के अधीन भी रखी जा सकेंगी।

बोर्ड के प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्षेत्र

अनुसूची

- माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं समकक्ष स्तर के मुक्त विद्यालयी कार्यक्रमों का संचालन, जिसमें बहु-प्रवेश, लचीली अध्ययन-अवधि, क्रेडिट संचय, पुनर्परीक्षा, सीखने की पुनर्बहाली और विविध शिक्षार्थी समूहों के लिए उपयुक्त शिक्षण मार्ग उपलब्ध कराना सम्मिलित होगा।
- कौशल, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, नागरिक उत्तरदायित्व और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का विकास, ताकि शिक्षार्थी केवल परीक्षा-उत्तीर्ण न हों बल्कि जीवन, काम और समाज के लिए तैयार भी हों।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 28 अगस्त, 2008 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 27, 2008 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्यांकित।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 55, 1975 की धारा 15 द्वारा रखा गया।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 2, 2016 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

- ऑन-डिमांड, मॉड्यूलर, स्तरित और क्रेडिट-आधारित मूल्यांकन प्रणाली का विकास, जिससे शिक्षार्थियों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अधिगम तथा प्रमाणन प्राप्त करने का अवसर मिल सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गम अनुकूल लचीली शिक्षा व्यवस्था का निर्माण, जिसमें पुनःप्रवेश, क्रेडिट मान्यता, मिश्रित अधिगम और विविध शैक्षिक पथों के बीच सुगम संक्रमण का प्रावधान हो।
- दिव्यांगजनों, वंचित समूहों, जनजातीय समुदायों, प्रवासी परिवारों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए समावेशी, सुलभ, स्थानीयकृत और तकनीकी रूप से अनुकूल शैक्षिक सहायता व्यवस्था का विकास।
- डिजिटल प्रमाणपत्र, अभिलेख सत्यापन, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, डेटा सुरक्षा, पहचान प्रमाणीकरण और जालसाजी-निरोधी प्रौद्योगिकीय उपायों का चरणबद्ध क्रियान्वयन, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय, त्वरित, पारदर्शी और बहु-मंचीय प्रमाणन तंत्र विकसित किया जा सके।

उद्देश्य और कारण

ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अपना प्रवेश नहीं करा सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि विधि बनाकर एक परिषद की स्थापना की जाए, जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्' के रूप में जाना जाएगा। इस परिषद में विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से संबंधित समस्त विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एक सभापति, एक निदेशक तथा 18 अन्य सदस्य होंगे। परिषद को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के क्रियाकलापों को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने तथा नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होगी। यह माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी और उनका विकास करेगी। उसे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं तथा अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों से भी सहयोग करने की शक्ति प्राप्त होगी। परिषद शिक्षा सहायता केंद्रों और अध्ययन केंद्रों की उचित कार्यपद्धति के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करेगी।

तदनुसार केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008, पुरःस्थापित किया जाता है।
